न्यायालय अति. सम्भागीय आयुक्त जयपुर

अपील संख्या –33/2017 जिला सीकर

1. घीसाराम उर्फ घासी
2. छिगन लाल
   पुत्रान बोदू
3. प्रभाती बेवा रामपाल
4. भूरी बेवा अर्जुन
   समस्त जाति अहीर, निवासीगण– ग्राम उदयपुरा, तहसील खण्डेला, जिला सीकर ।

अपीलार्थीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार , तहसील खण्डेला, जिला सीकर ।
2. उप ग्वण्ड अधिकारी खण्डेला, तहसील खण्डेला, जिला सीकर ।

रेस्पोंडेन्ट्स

अपील विरूद्ध आज्ञा उप खण्ड अधिकारी खण्डेला, जिला सीकर दिनांक 24.4.2017

उपस्थित–
1. वकील अपीलान्ट श्री ज्ञानेश्वर बाढदार
2. रेस्पोंडेन्ट की ओर से कोई उपस्थित नहीं

निर्णय

दिनांक– 16.5.2018

चित्रा
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर

यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत उप खण्ड अधिकारी खण्डेला, जिला सीकर के निर्णय दिनांक 24.4.2017 के खिलाफ प्रस्तुत हुई है । प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य निम्न प्रकार है :–

यह कि तहसीलदार (भू.अ.) खण्डेला , जिला सीकर ने पत्र क्रमांकः भू.अ. /2016/1385 दिनांक 19.4.17 द्वारा प्रस्ताव ग्राम उदयपुरा , पटवार मण्डल गोविन्दपुरा, तहसील खण्डेला के खसरा नम्बर 331, 330, 275, 334, 274, 273, 271, 336, 269, 270, 263, 262, 242, 236/1 में से प्रस्तावित रकबा रास्ते के रूप मे दर्ज किये जाने बाबत अभिशंषा फर्द मौका पटवारी व ग्राम उदयपुरा में अवस्थित/ प्रचलित रास्तों का विवरण उप खण्ड अधिकारी खण्डेला , जिला सीकर को प्रेषित किये जाने पर उप खण्ड अधिकारी खण्डेला जिला सीकर ने आदेश क्रमांकः राजस्व/2017/प.म.–गोग्न्दिपुरा/02 दिनांक 24.4.2017 से माननीय मुख्य मंत्री महोदया द्वारा बजट घोषणा 2015–16 के परिपेक्ष्य में राजस्व (ग्रुप–6) विभाग राज. जयपुर के परिपत्र क्रमांकः प. 3(2)राज–6/2003/ पार्ट/जयपुर दिनांक 21.11.16 की पालना में राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 131 व 132 तथा राजस्थान भू राजस्व अभिलेख नियम 1957 के नियम 58, 59, 60 व 86 के प्रावधानों के अनुसार तहसीलदार , खण्डेला से प्राप्त प्रस्ताव के अनुसार संलग्न् सूची व नक्शा ट्रेस में अंकित/दर्ज खातेदारी भूमि में से प्रस्तावित रास्ते को गैर मुमकीन रास्ते के रूप में दर्ज किये जाने के आदेश दिये गये तथा तहसीलदार खण्डेला को संलग्न् प्रस्ताव एवं नक्शा ट्रेस की प्रति भेजकर निम्न खसरा नम्बरों की कृषि भूमियो बाबत राजस्व अभिलेख में जरिये नामांतरकरण रास्ते के पृथक

खसरा नम्बर अंकित करते हुए रास्ते के रकबे की किस्म गैरमुमकीन रास्ता दर्ज किये जाने एवं नक्शे में उक्तानुसार तरमीम किये जाने के आदेश दिये गये । गैर मुमकीन रास्ते की भूमि संबंधित खातेदारान के खाते में ही रहेगी एवं तहसीलदार दांतारामगढ द्वारा भेजा गया प्रस्ताव व नक्शा ट्रेस आदेश का भाग रहेगें ।

क्र. सं.	नाम पटवार मंडल	राजस्व ग्राम	खसरा नं	रास्ते के लिए प्रस्तावित रकबा (है.में)
1.	गोविन्दपुरा	उदयपुरा	331	0.05
			330	0.05
			275	0.0150
			334	0.080
			274	0.04
			273	0.0024
			271	0.04
			336	0.05
			269	0.04
			270	0.03
			263	0.05
			262	0.04
			242	0.06
			236/1	0.23

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

उप खण्ड अधिकारी खण्डेला के उक्त आदेश के खिलाफ अपीलान्ट्स द्वारा यह अपील मियाद अधिनियम की धारा 5 के प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत कर स्वीकार करने एवं अपीलाधीन आदेश निररत किये जाने की प्रार्थना की ।

अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोंडेन्ट की तलबी की गई । अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड तलब किया गया । बहस के दौरान रेस्पोंडेन्ट की ओर से कोई हाजिर नहीं आने पर अपीलान्ट के योग्य अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनी गई ।

अपीलान्ट के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि उप खण्ड अधिकारी खण्डेला ने अपीलान्ट को नोटिस दिये बिना गुपचुप में अपीलान्ट की भूमि खसरा नम्बर 330 में से 0.05 हैक्टेयर में रास्ता कायम करने का अपीलाधीन आदेश पारित करने मे विधिक त्रुटि की है । अपीलान्ट को उक्त आदेश की जानकारी दिनांक 15.11.2017 को अपने खाते की जमाबन्दी की नकल लेने पर उसमें नामांतरकरण संख्या 1055 दिनांक 27.6.17 का हवाला देकर रास्ता दर्ज करने का इन्द्राज जमाबन्दी मे होने से नामांतरकरण की नकल ली जिसमें उप खण्ड अधिकारी के आदेश का हवाला दिया हुआ था तब अपीलान्ट द्वारा अपीलाधीन आदेश की नकल हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर नकल प्राप्त कर जानकारी से अपील अन्दर मयाद धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत की है । अतः अपील के गुणावगुण को देखते हुये न्याय हित में विलम्ब को क्षमा किया जाकर अपील का निस्तारण गुणावगुण पर किया जावे । उनका कहना था कि अधीनस्थ

न्यायालय में जिन परिपत्रों का हवाला दिया है उनमें कहीं पर भी नये सिरे से रास्ता कायम करने का प्रावधान नहीं है । राजनैतिक दबाव से कतिपय लोगों को नाजायज लाभ देने की गरज से नक्शे मे जो रास्ता उत्तर से दक्षिण खसरा नम्बर 232 से 244, 242, 262, 263, 265, 269, 271, 272, 273, 274 व गो 233, 226 , 225 एवं 275, 331, 330 में से डोटेड लाईन से दिखाकर अपीलाधीन आदेश पारित किया है, वह अवैधानिक है जबकि खसरा नम्बर 275, 231, 230, 274 में पूर्व के नक्शे व जमाबन्दी में कोई रास्ता दर्ज नहीं है बल्कि भूमि की किस्म बारानी दर्ज है । केवल रास्ता खसरा नम्बर 333, 326, 325 मे ही राजस्व अभिलेख में दर्ज था । अधीनस्थ न्यायालय ने बिना किसी आधार के नक्शे में गैरमुमकीन रास्ता दर्ज करने व रास्ते की भूमि खातेदारों के खाते में दर्ज रहने का जो अपीलाधीन आदेश पारित किया है वह अवैधानिक व कानून की मंशा के विपरीत है । उनका कहना था कि भू राजस्व अधिनियम की धारा 131 व 132 में रास्ता दर्ज करने का प्रावधान नहीं है । अधीनस्थ न्यायालय ने जिस फर्द मौका का हवाला दिया है जिस पर केवल सरपंच के हस्ताक्षर है ओर जिन व्यक्तियो के हस्ताक्षर है वे उस गॉव के निवासी है या नहीं, स्पष्ट नहीं है । मौके पर ग्राम उदयपुरा से सुरपुरा जाने के लिए ग्रेवल रोड अलग से बनी हुई है जो मौके पर आज भी विद्यमान है ओर राजस्व रिकार्ड में कटी हुई है ,लेकिन उसे नजरन्दाज कर नये सिरे से रास्ता कायम करने में विधिक त्रुटि की है । उनका कहना था नक्शे में हाल रास्ते को डोटेड लाईन से दर्शित किया है वह किस खसरा नम्बर में कितना चौडा होगा स्पष्ट नहीं है बल्कि अपीलान्ट की खातेदारी में से 0.0150 हैक्टेयर भूमि खसरा नम्बर 275 में व 0.04 खसरा नम्बर 274 में से रास्ता दर्ज करने का आदेश दिया है और खातेदारी खातेदारो के नाम रहने का आदेश दिया है तो रास्ते की खातेदारी किस प्रकार रहेगी यह स्पष्ट नहीं किया है तथा रास्ता काश्तकारों के कृषि प्रयोजनार्थ रहेगा या आम रास्ता रहेगा यह भी स्पष्ट नही है । उनका मुख्य रूप से कहना था कि अपीलान्ट प्रभावित व्यक्ति हैं जिन्हें सुनवाई का अवसर दिये बिना ही उनकी खातेदारी भूमि में से रास्ता कायम करने में अपीलाधीन आदेश पारित किया है, जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के खिलाफ होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश उप खण्ड अधिकारी खण्डेला दिनांक 24.4.2017 निरस्त किया जावे ।

मैनें प्रकरण के अभिलेख को देखा एवं प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया । अपीलान्ट के योग्य अधिवक्ता की बहस पर मनन किया । सर्वप्रथम मियाद अधिनियम की धारा 5 के प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों, अधीनस्थ न्यायालय में अपीलान्ट्स को सुनवाई हेतु नोटिस जारी नहीं करने एवं प्रकरण के गुणावगुण को दृष्टिगत रखते एवं विलम्ब के संबंध मे लचिला रूख अपनाते हुये न्यायहित में प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुये विलम्ब को क्षमा किया जाता है । प्रकरण मे विवाद तहसीलदार की अभिशंषा पर अपीलान्ट्स एवं अन्य खातेदारों की खातेदारी भूमि में से प्रस्तावित रास्ते को गैरमुमकीन रास्ते के रूप में दर्ज करने का अपीलाधीन आदेश दिनांक 24.4.2017 पारित किया गया है । अपीलान्ट्स की मुख्य आपत्ति कि उप खण्ड अधिकारी खण्डेला ने अपीलान्ट को नोटिस दिये बिना गुपचुप में अपीलान्ट्स की भूमि खसरा नम्बर 330 में से 0.05 हैक्टेयर में रास्ता कायम करने का अपीलाधीन आदेश पारित किया है , जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के खिलाफ एवं विधि विरूद्ध होने से निरस्तनीय है ।

उपरोक्त तथ्यों के परिपेक्ष्य में हम समझते हैं कि खातेदारान की खातेदारी भूमि में से प्रस्तावित रास्ते को गैर मुमकिन रास्ते के रूप में दर्ज किये जाने के अधीनस्थ न्यायालय उप खण्ड अधिकारी खण्डेला ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 24.4.17 पारित

किये हैं । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से प्रतीत होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा न तो खातेदारान को नोटिस जारी किये एवं न ही उन्हें सुना गया । हम समझते हैं कि किसी भी प्रभावित एवं हितबद्ध व्यक्ति को प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के परिपेक्ष्य में सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर दिया जाना न्यायिक रूप से आवश्यक है । अतः इसी दृष्टिकोण से परिणामस्वरूप अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश उप खण्ड अधिकारी खण्डेला, जिला सीकर दिनांक 24.4.2017 अपीलान्ट की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 330 रकबा 0.05 हैक्टेयर की हद तक निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण अपीलान्ट्स को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान कर विधि के प्रावधानों के परिपेक्ष्य में पुनः निर्णय करने हेतु उप खण्ड अधिकारी खण्डेला, जिला सीकर को प्रतिप्रेषित किया जाता है ।

अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड निर्णय की प्रति के साथ पालनार्थ लौटाया जावे । इस न्यायालय की पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद पूर्ति लेख भण्डार हो ।

निर्णय खुले न्यायालय में आज दिनांक को 16.5.2018 को सुनाया गया ।

चित्रा

(चित्रा गुप्ता)
अति. सम्भागीय आयुक्त
जयपुर